भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1207

(शुक्रवार, 9 फरवरी, 2018/20 माघ, 1939 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कंपनियों के कार्यकलाप

1207. श्री भीमराव बी. पाटीलः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति मानदंडों को अधिसूचित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की शुरुआत से अब तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी कंपनियों द्वारा किए गए व्यय और किए गए कार्यों का कंपनी-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीएसआर के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ अनियमितताएं सरकार की जानकारी में आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने सीएसआर के अंतर्गत कंपनियों द्वारा किए गए कार्यकलापों और धनराशि के उपयोग की निगरानी करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कंपनियों द्वारा सीएसआर के अंतर्गत कार्यकलापों का चयन करते समय जनप्रतिनिधियों की सहायता नहीं ली जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 के अधीन कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधान और इसके अधीन बनाए गए नियम 27.02.2014 को अधिसूचित किए गए हैं। ये अधिसूचनाएं मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in पर उपलब्ध हैं। अन्य बातों के साथ-साथ सीएसआर प्रावधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- कारोबार या निवल मूल्य या निवल लाभ की निर्दिष्ट ऊपरी सीमा से अधिक राशि वाली प्रत्येक कंपनी द्वारा तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च करना अनिवार्य है;

- ऐसी प्रत्येक कंपनी द्वारा बोर्ड की सीएसआर समिति गठित करना अपेक्षित है;
- ऐसी प्रत्येक कंपनी द्वारा कंपनी की सीएसआर नीति तैयार करना और इसके कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करना अपेक्षित है;
- बोर्ड की रिपोर्ट में निर्धारित प्रपत्र में विनिर्दिष्ट ब्यौरों सहित सीएसआर की वार्षिक विवरणी भी शामिल होगी;
- कंपनी द्वारा ऐसी राशि खर्च न कर पाने की स्थिति में, बोर्ड की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट राशि खर्च न कर पाने के कारण बताए जाएंगे;
- कंपनियां अपनी सीएसआर नीति (i) पंजीकृत न्यास या (ii) पंजीकृत सोसाइटी या (iii) धारा 8 के अधीन गठित कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित कर सकती हैं;

(ख): वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा 30.11.2017 तक की गई फाइलिंग से प्राप्त डाटा के अनुसार, ऐसी कंपनियों द्वारा सीएसआर पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में और सीएसआर व्यय रिपोर्ट करने वाली कंपनियों द्वारा राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार सीएसआर व्यय और विकास क्षेत्र वार सीएसआर खर्च का ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में उपलब्ध है।

तीन वित्तीय वर्षों के लिए सीएसआर व्यय

क्र.सं.	**कंपनी का प्रकार**	**वित्त वर्ष 2014-15 (करोड़ रुपये में)**	**वित्त वर्ष 2015-16 (करोड़ रुपये में)**	**वित्त वर्ष 2016-17 (करोड़ रुपये में)**
1.	पीएसयू	2673.85	4163.09	1325.83
2.	निजी क्षेत्र कंपनियां	6890.92	9664.77	3393.17
	कुल	**9564.77**	**13827.86**	**4719.00**

(ग) से (ङ): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा के 135(3) और (4) के अनुसार कंपनी बोर्ड को कार्यक्रमों/परियोजनाओं/कार्यकलापों का चयन करने और उसकी निगरानी रखने का अधिकार है। इस संबध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।

*****

......3/-

अनुलग्नक-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1207 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान किए गए सीएसआर व्यय का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार विवरण

सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)				
क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.29	0.54	0.07
2	आन्ध्र प्रदेश	403.91	1,220.54	101.69
3	अरुणाचल प्रदेश	11.03	1.49	7.98
4	असम	133.07	166.81	38.28
5	बिहार	36.20	108.15	36.90
6	चंडीगढ़	1.73	5.08	4.17
7	छत्तीसगढ़	158.89	236.22	14.85
8	दादर एवं नगर हवेली	2.54	12.03	1.65
9	दमन एवं दीव	20.05	2.13	0.83
10	दिल्ली	214.24	468.18	229.87
11	गोवा	26.60	30.25	10.54
12	गुजरात	296.53	550.98	152.04
13	हरियाणा	176.29	364.22	107.87
14	हिमाचल प्रदेश	9.30	51.71	10.57
15	जम्मू और कश्मीर	40.57	103.02	27.83
16	झारखंड	75.86	115.70	24.24
17	कर्नाटक	382.79	730.64	202.71
18	केरल	64.30	129.24	50.94
19	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.30	0.00
20	मध्य प्रदेश	137.15	178.94	213.48
21	महाराष्ट्र	1,372.34	1,810.45	702.37
22	मणिपुर	1.57	5.93	6.03
23	मेघालय	3.52	3.86	2.99
24	मिजोरम	1.03	1.08	0.08
25	नागालैंड	1.11	0.95	0.45
26	ओडीशा	249.50	604.26	191.43
27	पुदुचेरी	1.81	6.31	3.71
28	पंजाब	53.86	68.17	20.17
29	राजस्थान	271.36	472.46	84.99
30	सिक्किम	1.03	1.90	2.12
31	तमिलनाडु	498.89	597.60	202.53
32	तेलंगाना	94.89	248.57	64.56
33	त्रिपुरा	1.16	1.47	0.60
34	उत्तर प्रदेश	138.64	406.93	120.34
35	उत्तराखंड	69.99	71.50	30.74
36	पश्चिम बंगाल	178.61	399.89	121.12
37	समस्त भारत*	4,434.12	4,650.39	1,928.26

	कुल योग	9,564.77	13,827.86	4,719.00

*कंपनियों ने या तो राज्यों का नाम नहीं बताया है या एक से अधिक राज्य का उल्लेख किया है जहां परियोजनाएं शुरू की गईं।

*****

अनुलग्नक-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1207 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)				
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
1	स्वास्थ्य/भूखमरी, गरीबी और कुपोषण का निवारण/ सुरक्षित पीने का पानी/स्वच्छता	2,382.27	4,330.21	1,201.37
2	शिक्षा/विक्लांगजन/जीविका	3,021.47	4,689.81	1,605.05
3	ग्रामीण विकास	1,031.02	1,327.57	628.56
4	पर्यावरण/पशु कल्याण/संसाधनों का संरक्षण	812.31	901.80	306.68
5	स्वच्छ भारत कोष	94.52	323.24	89.35
6	अन्य कोई निधि	272.58	322.63	137.70
7	लैंगिक समानता/महिला सशक्तिकरण/वृद्धाश्रम/ असमानता हटाना	172.63	331.50	122.60
8	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	211.04	206.08	109.81
9	खेलों को प्रोत्साहन	53.36	134.76	51.73
10	विरासत कला और संस्कृति	113.62	114.90	49.64
11	स्लम विकास क्षेत्र	101.07	13.60	1.97
12	निर्मल गंगा कोष	4.64	32.52	22.97
13	अन्य क्षेत्र (सशस्त्र सेनाओं को प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर और लाभ, प्रशासनिक ऊपरी खर्च तथा अन्य*)	1,294.24	1,099.24	391.57
	कुल (करोड़ रुपये में)	**9,564.77**	**13,827.86**	**4,719.00**

*निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

*****